निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 38 / 2025
दायरा दिनांकः–02.06.2025
निर्णय दिनांकः– 30.7.25

उनवान

1. गंगाधर आयु 70 साल पुत्र मोंतीलाल उर्फ प्रेम जाति खाती निवासी ग्राम बिन्दाराडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः–30.7.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री देवेन्द्र कुमार मेहता – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल बिन्दाराड़ी तहसील छबड़ा की अन्तिम चौसाला जमाबंदी सम्वत 2075 2078 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी मे खाता संख्या 20 मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 210 रकबा 1.9096 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चली आ रही है। जिस पर प्रार्थी निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे प्रार्थी के पिता का नाम प्रेम दर्ज रिकार्ड है एंव प्रार्थी की अन्य आराजीयात मे प्रार्थी के पिता का नाम मोतीलाल दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, परिचय पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड जनआधार कार्ड वगैराह मे प्रार्थी के पिता का नाम मोतीलाल दर्ज है। प्रार्थी के पिता को मोतीलाल एंव प्रेम दोनो नामो से जाना जाता था। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजी मे प्रार्थी के पिता का नाम प्रेम दर्ज है। जिसके स्थान पर मोतीलाल उर्फ प्रेम दर्ज कराने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम प्रेम दर्ज होने से एंव प्रार्थी के समस्त दस्तावेज व अन्य आराजी मे प्रार्थी के पिता का नाम मोतीलाल दर्ज होने से प्रार्थी को बैंक के.सी.सी., ई. के.वाई.सी० कराने में परेशानी आ रही है। इस कारण प्रार्थी शुद्ध करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...ना पत्र मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजी मे प्रार्थी के पिता का नाम प्रेम दर्ज है जिसे शुद्ध ...र्ज करवाने के लिए प्रार्थी ने पटवारी जी व श्रीमान तहसीलदार साहब से निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने सम्मानीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बिन्दाराडी तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 20 नकल जमाबन्दी ग्राम बिन्दाराडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 19 नकल जमाबन्दी ग्राम बिन्दाराडी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 18 फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटो प्रति पेन कार्ड, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड, फोटो प्रति जन आधार कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बिन्दाराडी तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम प्रेम दर्ज है प्रार्थी की अन्य आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम मोतीलाल दर्ज है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में भी प्रार्थी के पिता का नाम मोतीलाल दर्ज है प्रार्थी के पिता को मोतीलाल एवं प्रेम दोनो नामों से जाना जाता है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम प्रेम दर्ज है जिसके स्थान पर मोतीलाल उर्फ प्रेम दर्ज करवाने का अधिकारी है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम प्रेम दर्ज होने से प्रार्थी का राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंछित होना पड रहा है। प्रार्थी अपने पिता का नाम प्रेम के स्थान पर मोतीलाल दर्ज कराना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी गंगाधर ने ग्राम बिन्दाराडी में खाता संख्या 20 के खसरा नम्बर 210 रकबा 1.9096 है0 में अपने पिता का नाम प्रेम से प्रेम उर्फ मोतीलाल करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसकी रिकार्ड से जॉच की गई। उक्त भूमि में प्रार्थी के नाम नामान्तरण संख्या 75 दिनांक 23.11.1975 से आवटंन हुई थी प्रार्थी का नाम उक्त भूमि में गंगाधर पुत्र प्रेम खाती के नाम से आवंटन हुई थी जो कि अभी तक इसी नाम से चली आ रही है ग्राम वासियों से प्रार्थी के पिता के नाम के बारे में पुछताछ की गई। तो उन्होने बताया कि प्रार्थी के पिता का ग्राम में बोलता नाम प्रेम है तथा सभी कागजातों में नाम मोतीलाल है तथा दोनो नाम एक ही व्यक्ति है बताये गये है तथा प्रार्थी के पिता को दो नामों से जाना जाता है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बिन्दाराडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 20 में गंगाधर पुत्र प्रेम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बिन्दाराडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 19 में गंगाधर पुत्र मोतीलाल दर्ज हे नकल जमाबन्दी ग्राम बिन्दाराडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 18 में गंगाधर पुत्र मोतीलाल जाति खाती दर्ज है मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड जन आधार कार्ड में गंगाधर पुत्र मोतीलाल दर्ज है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि गंगाधर पुत्र प्रेम खाती के नाम से आवंटन हुई थी तथा इसी आधार पर राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

किया गया है। अर्थात् राजस्व रिकार्ड में सहवन से त्रुटि नही हुई है प्रार्थी प्रेम एवं ...लाल के एक ही होने के साक्ष्य/सबूत पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है धारा 136 ...एल0आर0एक्ट के तहत समरी प्रक्रिया से राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जा सकता है इस प्रकरण में केवल राजस्व रिकार्ड में त्रुटि नही होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबड

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)